न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 811 सन 2020

अनवान :–

1. भगतराम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी दोलेवाला बास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी दोलेवाला बास तहसील नोहर।
2. सन्ता पत्नी स्व रामकुमार जाति जाट निवासी दोलेवाला बास तहसील नोहर।
3. सुमित्रादेवी पुत्री स्व रामकुमार जाति जाट निवासी दोलेवाला बास तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 1/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 312/311 की कुल 5.9440हैक व खाता संख्या 108/110 की 7.9040हैक में से 253/7940हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रामकुमार के नाम सें दर्ज है।

वादी के पिता रामकुमार पुत्र मूलाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नि प्रतिवादी संख्या 2 पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एवं पुत्री प्रतिवादी संख्या 3 है अर्थात रामकुमार पुत्र मुलाराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है अर्थात रामकुमार पुत्र मूलाराम के देहान्त होने पर उसके नाम से दर्ज कृषि भूमि के जायज हकदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो रामकुमार पुत्र मूलाराम की कृषि भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहने है एवं रामकुमार की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रामकुमार जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसके पिता रामकुमार के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो वाद भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 312/311 की कुल 5.9440हैक व खाता संख्या 108/110 की 7.9040हैक में से 253/7940हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रामकुमार के नाम सें दर्ज है।

वादी के पिता रामकुमार पुत्र मूलाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नि प्रतिवादी संख्या 2 पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एवं पुत्री प्रतिवादी संख्या 3 है अर्थात रामकुमार पुत्र मुलाराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है अर्थात रामकुमार पुत्र मूलाराम के देहान्त होने पर उसके नाम से दर्ज कृषि भूमि के जायज हकदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो रामकुमार पुत्र मूलाराम की कृषि भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहने है एवं रामकुमार की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 312/311 की कुल 5.9440हैक व खाता संख्या 108/110 की 7.9040हैक में से 253/7940हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रामकुमार के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पिता रामकुमार पुत्र मुलाराम के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है रामकुमार पुत्र मूलाराम के जायज वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मृत्यू /वारिस प्रमाण पेश किया जिससे साबित होता है कि वादी के पिता रामकुमार पुत्र मुलाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है अर्थात रामकुमार पुत्र मुलाराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

9929048301

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर बरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 312/311 की कुल 5.9440हैव व खाता संख्या 108/110 की 7.9040हैव में रो 253/7940हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामकुमार के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

अनवान :–

1. भगतराम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी दोलेवाला बास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 महेन्द्रसिह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी दोलेवाला बारा तहसील नोहर।
2. सन्ता पत्नी स्व रामकुमार जाति जाट निवासी दोलेवाला बास तहसील नोहर।
3. सुमित्रादेवी पुत्री स्व रामकुमार जाति जाट निवासी दोलेवाला बास तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 811 सन 2020 निर्णय दिनांक– 01/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 312/311 की कुल 5.9440हैक व खाता संख्या 108/110 की 7.9040हैक में से 253/7940हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामकुमार के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner